



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना नरैनी पुलिस द्वारा व्यक्ति का अपहरण कर मारपीट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन अल्टो कार बरामद।

विवरण - पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में थाना नरैनी पुलिस द्वारा व्यक्ति का अपहरण कर मारपीट करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.04.2026 को कस्बा नरैनी के रहने वाले राजाराम गर्ग ने थाना नरैनी पर अपने पुत्र के कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर मारपीट करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 13.04.2026 को घटना में शामिल एक अभियुक्त को कस्बा नरैनी से गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी-

- 01 चारपहिया वाहन अल्टो कार
- 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जगमोहन पुत्र गज्जू निवासी कालिंजर रोड कस्बा व थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 68/26 धारा 140(1)/115(2)/351(3) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जगमोहन उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 23/15 धारा 147/427/504/506 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0-26/15 धारा 323/504/506 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामदिनेश तिवारी
2. कां0 अजय यादव
3. कां0 सुशील वर्मा